प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 22-राजसमन्द संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ समोर बाग, उदयपुर तह. गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) 313001

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : राजसमन्द

दिनांक: 04.06.2024

(डॉ. भंवर लाल)
रिटर्निंग अधिकारी
22-राजसमन्द, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
राजसमन्द

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the 22-Rajsamand Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Smt MAHIMA KUMARI MEWAR Samore Bagh, Udaipur Teh. Girwa District Udaipur (Raj.) 313001

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Rajsamand Date: 04.06.2024

(Dr. Bhanwar Lal)
Returning Officer

22-Rajsamand Parliamentary Constituency
District Collector & District Magistrate
Rajsamand